

32. जालौन-

जनपद जालौन से वर्ष 2014-15 में गर्भधारण के 01, वर्ष 2015-16 में गर्भधारण के 08, वर्ष 2016-17 में गर्भधारण के 06 एवं वर्ष 2017-18 में गर्भधारण के 01 कुल 16 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये है जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 16 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 12 दावा प्रपत्र स्वीकृत किया गया। शेष 04 दावा प्रपत्रों में कमियाँ पाई गयी, जिसका विवरण निम्नवत है:-

वर्ष 2014-15

1. श्रीमती गुडडी देवी पत्नी श्री भरत लाल निवासी ग्राम रैड़ थाना कालपी जनपद जालौन के दावा प्रपत्र में असफल नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण पुष्टि की तिथि (अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट दिनांक 12.06.2014) एवं (क्लेम दिनांक 05.11.2014) अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

वर्ष 2015-16

2. श्रीमती शबाना उर्फ पिकी पत्नी श्री शमी खान निवासी जनपद जालौन के दावा प्रपत्र में संलग्न सहमति प्रपत्र में यू०पी०टी० पॉजिटिव है या निगेटिव इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है तथा अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट अपूर्ण है, जिसमें उल्लेख नहीं किया गया है कि लाभार्थी को कितने माह व दिन की गर्भवती है।
3. श्रीमती सरोज पत्नी श्री उमेश निवासी ग्राम कुरौती पोस्ट बंगरा जनपद जालौन के दावा प्रपत्र में असफल नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण पुष्टि की तिथि (ए०एन०सी० कार्ड दिनांक 04.03.2016) एवं (क्लेम दिनांक 24.06.2016) अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
4. श्रीमती अर्चना पत्नी श्री बृजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम सरैनी जनपद जालौन के दावा प्रपत्र में संलग्न सहमति प्रपत्र में यू०पी०टी० पॉजिटिव है या निगेटिव इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। दिनांक 15.12.2015 को लाभार्थी की नसबन्दी हुई है तथा दिनांक 01.03.2016 को अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट में 21 week & 0 days की लाभार्थी गर्भवती हुई है। अतः नसबन्दी की तिथि एवं अल्ट्रासाउण्ड की तिथि के मिलान से सम्भावना है कि नसबन्दी के समय लाभार्थी गर्भवती थी।

निर्णय:-

समिति द्वारा 32 जनपदों से प्राप्त 331 दावा प्रपत्रों का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त राज्य स्तरीय फैमिली प्लानिंग इंडेमिनिटी समिति की संस्तुति के आधार पर वर्ष 2013-14 में गर्भधारण के कुल 03 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 90,000/- (रु० नब्बे हजार मात्र), वर्ष 2014-15 में गर्भधारण के 16 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 4,80,000/- (रु० चार लाख अस्सी हजार मात्र), वर्ष 2015-16 में गर्भधारण के 57 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 17,10,000/- (रु० सत्तराह लाख दस हजार मात्र), वर्ष 2016-17 में गर्भधारण के 135 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 40,50,000/- (रु० चालीस लाख पचास हजार मात्र), जटिलता के 01 दावा प्रपत्र की धनराशि रु० 25,000/- (रु० पच्चीस हजार मात्र) एवं मृत्यु के 01 दावा प्रपत्र की धनराशि रु० 2,00,000/- (रु० दो लाख मात्र) एवं वर्ष 2017-18 में गर्भधारण के 53 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 15,90,000/- (रु० पन्द्रह लाख नब्बे हजार मात्र)। इस तरह गर्भधारण के 264 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 79,20,000/- (रु० उन्यासी लाख बीस हजार मात्र), जटिलता के 01 दावा प्रपत्र रु० 25,000/- (रु० पच्चीस हजार मात्र) एवं मृत्यु के 01 दावा प्रपत्र की धनराशि रु० 2,00,000/- (रु० दो लाख

बि